2024/447

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर जो इस ... में ज...
11.09.2024	पत्रावली पेश हुई । वकील उभय पक्ष उप. पत्रावली में प्रार्थना पत्र 1 नियम 10 की बहस सुनी गई । 1 नियम 10 निर्णय हेतु दिंनाक 24.09.2024 को पेश हो।	
24.09.2024	पत्रावली पेश हुई । वकील उभय पक्ष उप. पत्रावली में प्रार्थना पत्र 1 नियम 10 की बहस सुनी गई । प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य व प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया जिसे प्रार्थना पत्र 1 नियम 10 स्वीकार किया जाता है। रेपोटेन्ट न0 7 राजेन्द्र कुमार व 8 सीता बाई को पक्षकार बनाया जाता है। तथा पत्रावली में लाल स्याही से नाम जोडा जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब रेपोटेन्ट न0 7 व 8 हेतु दिंनाक 25.09.2024 को पेश हो।	
25.9.2024	पत्रावली पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। हस्तगत अपील में अपीलार्थी द्वारा नामान्तकरण संख्या 2137 निर्णय दिनांक 14.01.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त नामान्तरकरण तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा निर्णित किया गया है, जिसकी ताईद अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल नामान्तरकरण संख्या से होती है। राजस्व (ग्रुप–06) विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक 5(8) राजस्व–6/97 दिनांक 19.09.2006 एवं 27.01.2007 के अनुसरण में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(1) के तहत तहसीलदार द्वारा निर्णित अविवादित नामान्तरकरण की अपील सुनवाई के अधिकार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75(1)(ए) में अंकित प्रावधानों के अनुसार जिला कलेक्टर महोदय को है। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील की सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः हस्तगत अपील की सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय का प्राप्त नहीं है। अतः हस्तगत अपील में कार्यवाही इस स्तर पर ड्रोप की जाकर प्रकरण सुनवाई हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, चित्तौड़गढ़ को प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रकरण में इस न्यायालय में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर मूल पत्रावली श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, को प्रेषित की जाती है। पत्रावली का मुसन्ना कायम किया जाकर दाखिल दफ्तर किया जावें, तद्नुसार अभिलेखों में ... किया जावें।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:08:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner